UPGK010034012026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर।</u>
पीठासीन अधिकारी-श्री चन्द्रभान सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06180
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1382/2026

1. गिरजा उम्र 50 वर्ष पत्नी खुनखुन निषाद
2. रूना उम्र 30 वर्ष पुत्री खुनखुन निषाद

निवासीगण ग्राम जंगल धूसड़, टोला-हैदरगंज, थाना पिपराईच, जिला-गोरखपुर

.....**आवेदिकागण/अभियुक्तागण**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 736/2025
अंतर्गत धारा 352, 351(3)बी0एन0एस0
व धारा- 3(1)द 3(1),ध व 3(2)va SC/ST Act.
थाना- पिपराईच, जनपद-गोरखपुर।

<u>दिनांक- 10.08.2026</u>

आवेदिकागण/अभियुक्तागण **गिरजा एवं रूना** द्वारा जमानत हेतु उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में जमानत प्रार्थना पत्र के साथ अभियुक्ता गिरजा द्वारा स्वयं का शपथपत्र संलग्न किया गया है।

अधिनियम की धारा-15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

सक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा जीउत प्रसाद के द्वारा सम्बंधित थाने पर दिनांक 08.10.2025 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का धोबी है । दिनांक 24.08.2025 को शाम 8.23 पर खुनखुन निषाद पुत्र स्व0 मेवाला, उनकी पत्नी, दत्तक पुत्री रीना द्वारा प्रार्थी के पूरे परिवार को जाति सूचक गाली एवं जान से मारने कीधमकी दी गयी एवं वादी का गला दबाने का प्रयास किया गया तथा कहते हैहं ये पूरा गांव मेरा है, तुम लोगों को यहां से भगा देगें, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पायेगा। वादी द्वारा पूर्व में आवेदन दिया गया है। सं0सं0 20018825024845 दिनांक 20.09.2025 सं0सं0 20018825022186 दिनांक 25.08.2025 घटना का प्रार्थना पत्र, साक्ष्य वीडियो और गवाह पहले दिया जा चुका है।

आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र/शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदिकागण/अभियुक्तागण निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है । आवेदिकागण/अभियुक्तागण को महज रंजिशवश मुकदमें में फंसाया गया है। आवेदिकागण/अभियुक्तागण का तथाकथित घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। आवेदिकागण/अभियुक्तागण संभ्रान्त व्यक्ति है, जमानत मिलने पर कहीं भागने की संभावना नहीं है। आवेदिकागण/अभियुक्तागण विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तागण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदिकागण/अभियुक्तागण को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विरूद्ध पीड़ित पक्ष को भद्दी-भद्दी गाली गुप्ता देते हुये स्वेच्छया मारे-पीट किये जाने व जान माल की धमकी देते हुये जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये जाने का आरोप लगाया गया है। चोटहिलों को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है। आवेदिकागण/अभियुक्तागण अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वे न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्तागण के विरूद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2026 को संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तागण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s 528 BNSS No. 6400 of 2025 Smt. Bacchi Devi vs. State of U.P. and other [Netural Citation No. 2025: AHC:136034]** में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिकागण/अभियुक्तागण **गिरजा एवं रूना** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्ता द्वारा मु0 50,000/- रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होती रहेगी, विचारण में सहयोग करेगी एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगी , दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(चन्द्र भान सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
गोरखपुर।

Digitally signed by CHANDRA BHAN SINGH
Date: 2026.08.10 16:36:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court